

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - /2019 (Bank Case)

शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड  
शाखा- 04 व 05 प्रथम मंजिल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ.  
शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा (राज.) -305001

- प्रार्थी /सिक्योरिटी क्रेडिटर

## बनाम

1. श्री हेमराज मीणा पुत्र श्री परमानन्द मीणा (ऋणी / बंधककर्ता)  
पता:- (अ) 25, मीना बस्ती, हिंगी, तहसील-सांगोद जिला कोटा (राज.)  
(ब) खसरा नं. 806 ग्राम-हिंगी, ग्राम पंचायत-हिंगी, पंचायत समिति  
सांगोद, तहसील-सांगोद जिला-कोटा (राज.)-305801
2. परमानन्द पुत्र श्री जवाहर लाल मीणा  
25, मीना बस्ती, हिंगी, तहसील-सांगोद, जिला कोटा (राज.) -34001  
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्युरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेशियल  
ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट ऐक्ट 2002



उपरिस्थित

श्री अविनाश ठाकुर, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 01.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड शाखा- 04 व 05 प्रथम मंजिल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ. शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा (राज.) -305001 से अप्रार्थीगण ने दिनांक 08.12.2014 का होम इम्प्रूवमेन्ट लोन बाबत रूपये 5,00,000/- (अक्षरे: रूपये पांच लाख, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति श्री परमानन्द पुत्र श्री जवाहर लाल मीणा की पट्टा सं. 32279, खसरा नं.806, ग्राम हिंगी, ग्राम पंचायत- हिंगी, पंचायत समिति सांगोद, तहसील सांगोद जिला कोटा स्थित सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 2546 वर्गफीट है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत हींगी पंचायत समिति सांगोद द्वारा दिनांक 21.01.2013 को जारी किया गया है, जिसका पंजीयन, उप पंजीयक सांगोद द्वारा दिनांक 25.4.2013 को किया गया है । जिसकी चर्तु: सीमाएं पूर्व में- श्री बृजराज पुत्र श्री छीतर की सम्पत्ति, पश्चिम में -आम रास्ता, उत्तर में - स्वयं का मकान, दक्षिण में- स्वयं का मकान को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तियुक्त व डिफॉल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.01.2016 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 5,42,002/- (अक्षरे: रूपये पांच लाख, ब्यालिस हजार, दौ मात्र) बकाया रकम दिनांक 04.02.2016 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने

जिला कलेक्टर


कोटा

उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 04.02.2016 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 04.02.2016 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 04.02.2016 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्री परमानन्द पुत्र श्री जवाहर लाल मीणा की पट्टा सं. 32279, खसरा नं.806, ग्राम हिंगी, ग्राम पंचायत- हिंगी, पंचायत समिति सांगोद, तहसील सांगोद जिला कोटा स्थित सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल 2546 वर्गफीट है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत हींगी पंचायत समिति सांगोद द्वारा दिनांक 21.01.2013 को जारी किया गया है, जिसका पंजीयन, उप पंजीयक सांगोद द्वारा दिनांक 25.4.2013 को किया गया है। जिसकी चर्तुः सीमाएं पूर्व में- श्री बृजराज पुत्र श्री छीतर की सम्पत्ति, पश्चिम में -आम रास्ता, उत्तर में - स्वयं का मकान, दक्षिण में- स्वयं का मकान का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया।

  
(आम कसेरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा